कार्यालय–उत्तर प्रदेश, राज्य खाद्य आयोग,

''लखनऊ हाट'', तृतीय एवं चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रॉंक–302/रा0खा0आ0–मुरादाबाद मण्डल/2018, लखनऊ : दिनांक :09जुलाई 2020

कोर्ट नोटिस

जिला पूर्ति अधिकारी (आन्तरिक शिकायत निवारण नोडल),
बिजनौर।

विषय– **दैनिक समाचार पत्र कैथल (हरियाणा), में प्रकाशित खबर ''राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, राशन कम देने का आरोप'' दिनांक 09 जुलाई 2020 – चांदपुर, बिजनौर।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र कैथल (हरियाणा), में प्रकाशित खबर ''राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन, राशन कम देने का आरोप'' दिनांक 09 जुलाई 2020 – चांदपुर, बिजनौर (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित है कि चांदपुर के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन कम देने के साथ ही मनरेगा व श्रम पंजीकरण से पैसे लेने का आरोप लगाया है। प्राप्त समाचार के अनुसार ग्राम सत्तलपुर मिल्क के रहने वाले छत्रपाल सैनी, वेद प्रकाश, सोमपाल सैनी, अनिल कुमार, जयचन्द्र, रामकिशन, योगेन्द्र सिंह, बृजपाल सिंह, चन्द्रप्रकाश सिंह सैनी, मयंक, मुकेश कुमार, रेखा, पूनम, ममता आदि ने राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन कर राशन डीलर कुमारी पुजा पर राशन प्रति यूनिट साढ़े चार किलो राशन देने का आरोप लगाया है, आदि खबर प्रकाशित हुयी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रकरण की जांच कराते हुए, जांच आख्या आयोग को 15 दिन में उपलब्ध करायें।

संलग्नक – यथोपरि।

(नन्द किशोर यादव)
अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. जिला शिकायत निवारण अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, बिजनौर।
3. सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक, सुनवाई के समय आयोग में उपस्थित हों।
4. सम्बन्धित, उचित दर विक्रेता, सुनवाई के समय आयोग में उपस्थित हों।

(नन्द किशोर यादव)
अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग।

Ayog new